

सं० सं० 14/.एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अपोलो ग्लेनगेलस हॉस्पिटल कोलकत्ता 58,
केनाल सर्कुलर रोड, कोलकत्ता 700054

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.3.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चरण सिंह पिता-स्व. वासबा सिंह ग्राम-तकीयापर दानापुर पोस्ट-दीघा थाना-दानापुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 60,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) रूपया का क्रास चेक सं० 849949मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ~ 392 (14)

पटना, दिनांक - 6-4-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

01/04/15

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
एशियन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस,
फरीदाबाद 121001

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.3.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुधा देवी पति-अरुण कुमार ग्राम-छाता चौक पोस्ट-प्रधान डाकघर थाना-काजी मोहम्मदपुर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 60,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000 /- (साठ हजार) रुपये का क्रास चेक सं०.....
.....~~879974~~..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 387 (14)

पटना, दिनांक - 6-4-15

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

010415

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.3.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मीरा देवी पति-जोखन साह ग्राम-पो०-पकड़ी दीक्षीत थाना-कल्याणपुर जिला-पूर्वी चम्पारण	कैंसर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	विजन्ती देवी पति-राजेश्वर सिंह ग्राम-मरीचांव पोस्ट-दरौली थाना+जिला-भभुआ, कैमुर हौस्पिटल नं०-1576/14	कैंसर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	शिवनाथ पाठक पिता-स्व. दुखी पाठक ग्राम-सीधी पोस्ट-चाके डीहरा थाना-बेलाव जिला भभुआ, कैमुर हौस्पिटल नं०-338/08	कैंसर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	बुचुन शर्मा पिता-स्व. जीतन शर्मा ग्राम-सीधी पोस्ट-चाकेडिहरा थाना-बेलौव जिला-भभुआ कैमुर हौस्पिटल नं०-02/13	कैंसर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये का क्रास चेक सं०.....
879913..... मूल रूप में संलग्न है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन
 ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)
 निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 386 (14)

पटना, दिनांक -6-4-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)

निदेशक प्रमुख
 01-04-15

